

श्री रेलवे एम्प्लॉयज को-ऑपरेटिव बैंक लि. जयपुर।

बैंक ऋण नीति

दिनांक 06.07.18 को हुई
ऑडिट कमेटी एवं दिनांक
दिनांक 27.07.2018 की
संचालक मंडल की सभा
में अनुमोदित

दी रेलवे एम्पलाईज को-आपरेटिव बैंक लि., जयपुर
दिनांक 06.07.18 की ऑडिट कमेटी एवं संचालक मंडल की सभा दिनांक 27.07.2018 में अनुमोदित एवं
दिनांक 01.08.18 से 31.07.2019 तक प्रभावी ऋण नीति

क्र.सं.	ऋण नीति-2018
1	सदस्यता :-
1.1	बैंक उपनियमानुसार रेलवे विभाग में सेवारत अधिकारी/कर्मचारी जिनकी कंट्रोलिंग यूनिट बैंक के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आती है, वे बैंक के सदस्य बन सकते हैं। 1. रेलवे में अप्रेंटिस के पद पर कार्यरत कर्मचारियों (अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के अतिरिक्त) को बैंक का सदस्य नहीं बनाया जाये। 2. ऐसे अप्रेंटिस रेलवे कर्मचारी जो की अनुकम्पा के आधार पर रेलवे में नियुक्त हुये है उन्हें वर्तमान नियमानुसार सदस्य बनाया जायेगा, परन्तु उन्हें नियमित नियुक्ति के पश्चात ही ऋण स्वीकृत किया जायेगा। 3. रेलवे भर्ती बोर्ड एवं रेलवे भर्ती कक्ष द्वारा नियुक्त अप्रेंटिस कर्मचारियों को भी बैंक का सदस्य बनाया जायेगा। परन्तु उन्हें नियमित नियुक्ति के पश्चात ही ऋण स्वीकृत किया जायेगा।
1.2	(i) सदस्यता ग्रहण करते समय सदस्य की संलग्न Latest वेतनपत्र में PF No., EMP_ID No., PRN_No व Temp. PF No. का होना आवश्यक होगा। (ii) राजपत्रित अधिकारी तीन माह की सदस्यता एवं तीन सीटीडी की कटौती वेतन से प्राप्त होने पर अधिकतम ऋण सीमा के पात्र होंगे एवं जमानत देने हेतु भी इसी शर्त के अनुसार पात्र होंगे। परन्तु यदि कोई राजपत्रित अधिकारी किसी भी कारण से उपरोक्त पात्रता पूर्ण नहीं करते है तो वे ऐसी स्थिति में किसी एक संचालक की सहमति पर एक माह की सदस्यता व एक सीटीडी की वेतन से कटौती के पश्चात् ऑउट ऑफ टर्न ऋण प्राप्त कर सकते है” (iii) रेलवे कर्मचारी द्वारा सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही बचत खाता खोलना अनिवार्य होगा।
1.3	बैंक के सदस्य बनने वाले सदस्य को बैंक की सेवाशर्तें एवं नियमों को मानना अनिवार्य होगा। बैंक द्वारा जारी सदस्यता फार्म को भरकर देने व सदस्यता शुल्क ₹10/- जमा करने के साथ ही बैंक का कम से कम एक शेयर ₹100/- का लेना अनिवार्य होगा।
1.4	सदस्यता हेतु आवेदन करने व शेयर क्रय कर लेने मात्र से सदस्यता प्राप्त हो जाने की गारण्टी नहीं होगी, इसके लिये सदस्य के वेतन से सीटीडी की कटौती होना अनिवार्य होगा।
1.5	सदस्य द्वारा सदस्यता से त्यागपत्र देने पर, त्याग पत्र स्वीकार करने की दिनांक से एक वर्ष पश्चात् ही पुनः सदस्यता ग्रहण की जा सकेगी। पूर्व की सदस्यता अवधि का लाभ मान्य नहीं होगा। सदस्य यदि तथ्य छिपाकर सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो भी उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। सदस्य के रेल सेवा से निष्कासित होने पर अगर सदस्य के द्वारा अपील करने पर पुनः नौकरी पर रखा जाता है तो गेप अवधि रेलवे के आदेशनुसार मानी जायेगी। अन्य मंडल में स्थानान्तरण होने की स्थिति में यदि सदस्य की सीटीडी व ऋण की रिकवरी नियमित प्राप्त हो रही है तथा ऐसे सदस्य का स्थानान्तरण एक वर्ष की अवधि में पुनः बैंक के कार्यक्षेत्र में स्थानान्तरण हो जाता है तो ऐसे सदस्य की सदस्यता को नियमित माना जायेगा। परन्तु उक्त अवधि में MRF & MLIF का भुगतान नहीं किया जायेगा।(बीओडी 16.09.17)
1.6	सदस्यता फार्म में सदस्य को अपना स्थायी पता अंकित करना अनिवार्य होगा। साथ ही स्थाई पते हेतु आधार कार्ड को मुख्य आई.डी. माना जायेगा तथा सदस्यता ग्रहण करते समय सदस्य से आधार कार्ड की प्रति प्राप्त कर रिकार्ड में रखी जायेगी। आधार कार्ड नहीं होने पर केवाईसी के नियमानुसार अन्य दस्तावेज मान्य होंगे। साथ ही अपने नामित की घोषणा पूर्ण विवरण के साथ (Detail of Nominee) उल्लेखित करनी होगी, सदस्य कालान्तर में यदि अपने नामित को बदलना चाहे तो लिखित प्रार्थना पत्र के साथ ₹10/-बैंक में जमा करवाकर, जिसमें कम से कम एक सदस्य की साक्षी हो, नामित बदल सकता है।
1.7	बैंक उपनियमों के अनुसार सदस्यता से त्यागपत्र देने वाले सदस्य को निपटारा राशि का भुगतान आवेदन पत्र इनवर्ड होने के 7 दिवस के अन्दर कर दिया जायेगा।
1.8	नये सदस्य बनाने पर सदस्यता आवेदन पत्र के साथ सदस्य को Latest पे-स्लिप की Self Attested/ सत्यापित हो अथवा सम्बन्धित शाखा के संचालक अथवा शाखा प्रबन्धक द्वारा भी उक्त पे-स्लिप की मूल प्रति देखकर सत्यापन किया जा सकता है। मूल वेतन पत्र सदस्यता/ऋण भुगतान के पश्चात् तुरन्त सदस्य को लौटा दी जायेगी। सदस्य ऋण आवेदन पत्र इनवर्ड करवाते समय आवेदन पत्र के साथ इंटरनेट के माध्यम से प्रिन्ट की गई विगत तीन माह की वेतनपत्र, जो कि सदस्य द्वारा स्वयं सत्यापित की गई हो, संलग्न कर सकता है। यदि सदस्यो द्वारा ऋण आवेदन पत्रों के साथ ड्राफ्ट पे-स्लिप संलग्न की जाती है तो इस प्रकार के ऋण आवेदन पत्र को इनवर्ड नहीं किया जायेगा।

1.9	<p>सदस्यता से त्यागपत्र :-</p> <p>सदस्य की पांच वर्ष की सदस्यता अवधि पूर्ण होने के उपरान्त सदस्य की प्रार्थना के आधार पर शाखा प्रबन्धक, शाखा स्तर पर नियमानुसार त्यागपत्र स्वीकृत कर सकते हैं। ऋण नीति का अक्षरशः पालन किया जाये लेकिन यदि सदस्य का स्थानान्तरण बैंक के कार्यक्षेत्र के बाहर हो जाता है/सेवानिवृत्ति/मृत्यु तो उनपर समय की पाबंदी नहीं रहेगी तथा ऋण कमेटी उसपर निर्णय लेगी।</p> <p>बैंक उपनियमानुसार सेवारत अधिकारी/कर्मचारी बैंक का सदस्य बन सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि सदस्य की मृत्यु हो जाती हो या त्यागपत्र दे देता हो या एच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली हो या अपने पुत्र/पुत्री को नौकरी दिलाने हेतु लार्जैसी स्कीम के तहत त्यागपत्र देता हो तो ऐसी स्थिति में सदस्यता समाप्त होगी। यहां यह आवश्यक है कि उपरोक्त तथ्यों के लिये सदस्यता की सेवा अवधि कोई मायने नहीं रखती। ऐसी स्थिति में त्यागपत्र स्वीकार किया जा सकता है। बशर्ते कि उनके द्वारा दी गई जमानत खाली हो। प्रायः सेवानिवृत्ति के छः माह पूर्व सदस्यता से त्यागपत्र देता है तो स्वीकार कर लिया जाना चाहिये यदि वे अन्य शर्तें पूरी करता हो।</p>
2	<p>सी.टी.डी.(CTD) की कटौती :-</p>
2.1	सदस्य के वेतन से निर्धारित सी.टी.डी. राशि की कटौती प्रत्येक माह होना अनिवार्य होगा।
2.2	<p>सी.टी.डी. राशि की कटौती का निर्धारण समय समय पर बैंक के संचालक मंडल के निर्णयानुसार किया जायेगा, जो कि सदस्य को मान्य होगा। वर्तमान में सीटीडी का निर्धारण निम्नानुसार है:-</p> <p>ए) वेतनमान 5200-20200 व लेवल 1 से 5(पूर्व ग्रेड-पे 1800 से 2800 तक) तक सीटीडी की राशि 600/- की कटौती करना तथा वेतनमान 9300-34800 व लेवल 6(पूर्व ग्रेड-पे 4200 एवं इससे अधिक) एवं इससे अधिक के वेतनमान पर सीटीडी की राशि 1000/- की कटौती करना।(बी.ओ.डी-31.03.17) 01.04.17 से प्रभावी</p> <p>बी) यदि सदस्य स्वैच्छा से सीटीडी राशि में वृद्धि करवाकर 100 के गुणांक में कटौती करवा सकता है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹10.00 लाख होगी।</p> <p>सी) यदि ऋणी सदस्य की ऋण की कटौती आने व सीटीडी की कटौती प्राप्त नहीं होने पर डिफाल्ट राशि नकद जमा करवानी होगी व अंतिम सीटीडी की किश्त वेतन से प्राप्त होना अनिवार्य होगा तथा रिवाईज्ड सीटीडी कटौती तालिका जारी कर कटौती करवाना सुनिश्चित किया जायेगा। यह नियम ऋणी व जमानती सदस्य दोनों पर लागू होगा।</p>
2.3	सदस्य की सदस्यता रहने तक सीटीडी की राशि में से उसे किसी प्रकार की राशि निकालने के अधिकार नहीं होंगे।
2.4	<p>सदस्य द्वारा ऋण अथवा अन्य किसी प्रकार की देनदारी में डिफाल्टर होने की स्थिति में बैंक को उपनियमों एवं संचालक मंडल द्वारा लिये गये निर्णयानुसार, सीटीडी एवं अन्य जमा राशियों से वसूली करने का अधिकार होगा व उक्त सीटीडी से ली गई राशि की गणना ऋण कटौती की किश्त के रूप में मानी जायेगी।</p> <p>तीन माह की नियमित कटौती प्राप्त होने के पश्चात् ही शाखा प्रबन्धक द्वारा संबंधित सदस्य के सीटीडी खाते से अतिदेय राशि की वसूली की स्वीकृति हेतु मुख्यालय में अनुशंसा की जायेगी।</p> <p>सदस्य की मृत्यु/लार्जैसी/वीआरएस/सेवानिवृत्ति/रिमूवल केस में यदि ऋण बकाया है तो सीटीडी में जमा राशि बैंक द्वारा बकाया ऋण में समायोजित की जायेगी। यदि ऋण बकाया नहीं है तो जमा राशि पर उक्त तिथि के पश्चात् बचत खाते की दर से ब्याज देय होगा। (मैसर्स वी-सॉफ्ट फर्म से Implement नहीं होने तक यह कार्य मेनुअल किया जायेगा।)सीटीडी से समायोजित की गई राशि सदस्य से ऋण भुगतान के समय ऋण से वसूल कर उसके सीटीडी खाते में पुनः जमा करना आवश्यक होगा।</p>
2.5	सीटीडी पर ब्याज दर रेलवे विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार पीएफ की ब्याज दर को ध्यान में रखते हुये समय-समय पर संचालक मंडल द्वारा निर्धारित की जायेगी। वर्तमान में निर्धारित ब्याज दर 7.50 प्रतिशत वार्षिक है।
3	<p>ऋण के प्रकार :-</p>
3.1	<p>सामान्य ऋण योजना :- सदस्य अपनी निजी आवश्यकता के लिये ऋण हेतु आवेदन कर सकता है। आवश्यकता का कारण आवेदन पत्र में अंकित करना होगा।</p>
3.2	<p>सी.टी.डी. के Against ऋण योजना :-</p> <p>(i) Loan Limit : 80% of CTD Deposit Balance Intt. Rate : 2% above CTD Deposit Rate CTD Loan के चलते हुये ऋणी सदस्य कभी भी सामान्य ऋण प्राप्त कर सकता है। अन्य शर्तें सामान्य ऋण योजना के अनुरूप लागू होगी।</p>
4	<p>सामान्य ऋण आवेदन व सेवा शर्तें :-</p>
4.1	<p>सदस्य को ऋण प्राप्ति हेतु बैंक द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करना होगा। इसके लिये सदस्य को सहकारिता अधिनियम, बैंक उपनियम, संचालक मंडल द्वारा निर्धारित ऋण नीति व सेवा शर्तें मानना अनिवार्य होगा। बैंक द्वारा ऋण आवेदन पत्र जमा करते समय उसकी प्रारम्भिक जांच कर (जिसमें सभी कॉलम स्पष्ट रूप से बिना कांट-छांट के भरे हुये हो, फोटो पर विभाग द्वारा यथा स्थान सत्यापन किया हुआ हो व सदस्य के स्वयं के एवं जमानतियों के यथा स्थान हस्ताक्षर हो। साथ ही साक्षियों के कॉलमों की पूर्ति भी हो रखी हो) सदस्य को प्राप्ति रसीद दी जायेगी। साक्षी बैंक के सदस्य की ही मान्य होगी। ऋण पत्र में उपलब्ध साक्षी के कॉलमों की पूर्ति बैंक के सदस्यों द्वारा ही की जाये। ऐसे किसी व्यक्ति की साक्षी मान्य नहीं होगी जो बैंक का सदस्य नहीं है।</p>

4.2	ऋण आवेदन पत्र के प्रारूप में बैंक द्वारा चाही गई सभी जानकारी सत्यनिष्ठा व शपथपूर्वक देना आवश्यक होगा सदस्य द्वारा असत्य एवं भ्रामक जानकारी दिये जाने व किसी प्रकार का तथ्य छिपाने की स्थिति में उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है एवं आवेदन को निरस्त कर दिया जायेगा। यदि ऋण प्राप्त कर लिया है तो विधिक कार्यवाही कर ऋण की वसूली का बैंक को अधिकार होगा।
4.3	ऋण आवेदन पत्र में रेलवे विभाग द्वारा किये जाने वाले सत्यापन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही किये जाने पर ही आवेदन पत्र मान्य होगा।
4.4	आवेदन पत्र पर लगाये जाने वाले ऋणी व जमानतियों के फोटो रंगीन पासपोर्ट साईज के सुस्पष्ट एवं Latest होने चाहिये एवं विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर व सील फोटो पर Cross करते हुये होना अनिवार्य है।
4.5	i) ऋण आवेदन पत्र के साथ विगत तीन माह का सैलेरी अकाउन्ट स्टेटमेंट/पासबुक की फोटोप्रति/वेतनपर्ची आवश्यक रूप से संलग्न करने होंगे। इसके अभाव में ऋण आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। सदस्य ऋण आवेदन पत्र इनवर्ड करवाते समय आवेदन पत्र के साथ इंटरनेट के माध्यम से प्रिन्ट की गई विगत तीन माह की वेतनपर्ची, जो कि सदस्य द्वारा स्वयं सत्यापित की गई हो, संलग्न कर सकता है। यदि सदस्यो द्वारा ऋण आवेदन पत्रों के साथ ड्राफ्ट पे-स्लिप संलग्न की जाती है तो इस प्रकार के ऋण आवेदन पत्र को इनवर्ड नहीं किया जायेगा। ii) ऋण आवेदन पत्र स्वीकृति के पश्चात् शाखाओं को एक Lot में भेजे जायेगे।
4.6	यदि सदस्य द्वारा स्वीकृत ऋण भुगतान प्राप्त नहीं किया गया है तो स्वीकृत ऋण को निरस्त करवाकर किश्तों की संख्या व ऋण राशि में जमानतियों की सहमति से परिवर्तन करवा सकता है।
4.7	सदस्य को साधारण ऋण हेतु दो जमानती प्रस्तुत करने होंगे, ये जमानती बैंक के सदस्य होने के साथ-साथ डिफाल्टर की श्रेणी में नहीं होने चाहिये व उनकी सेवा निवृत्ति तिथि सदस्य के ऋण चुकाने की अवधि से 6 माह पूर्व तक की होनी अनिवार्य है। साथ ही ऋणी सदस्य द्वारा ऋण चुकाने की अवधि, उसकी एवं जमानतियों की सेवानिवृत्ति से 6 माह पूर्व तक या बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम व अधिकतम अवधि में होनी अनिवार्य होगी।
4.8	यदि सदस्य बैंक की देनदारियों को चुकाने में डिफाल्टर है एवं असाध्य बीमारी से ग्रसित है तथा यदि सदस्य असत्य घोषणा कर ऋण प्राप्त कर लेता है तो जानकारी प्राप्त होते ही बैंक द्वारा सदस्य के ऋण आवेदन पत्र को निरस्त किया जा सकेगा। वह बीमित नहीं माना जायेगा। शाखा प्रबन्धक को इसके लिये ठोस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4.9	ऋणी सदस्य को ऋण कटौती तालिका की दो प्रतियां ऋण भुगतान के समय दी जाये, जिसमें एक प्रति स्वयं के रिकार्ड हेतु व एक प्रति वेतन अधिकारी को कटौती हेतु दी जायेगी।
4.10	ऋण आवेदन निरस्त होने के पश्चात् बैंक में ही जमा रहेगा, जिसमें आवेदन पत्र निरस्त करने के कारण सहित आक्षेप उल्लेखित करने अनिवार्य होंगे। ऋण आवेदन पत्र निरस्त करने की सूचना सदस्य को सात दिवस में डाक से भेजी जायेगी। इसके अतिरिक्त सदस्य को SMS व मोबाईल के माध्यम से सहायक शाखा प्रबन्धक सदस्य को सूचित करेंगे।
4.11	ऋणी सदस्य से ऋण की स्वीकृति के समय विविध खर्च खाते में दिनांक 01.11.17 से ₹125/- की कटौती की जायेगी। (बीओडी 27.10.17)
5	ऋण राशि की सीमा व पात्रता (Loan Limit & Eligibility) (बी.ओ.डी 27.10.17 प्रभावी तिथि 01.11.2017)
5.1	i) वे सदस्य जिनकी सदस्यता 91 दिन अथवा उससे अधिक एवं 1 वर्ष से कम है वे 25 माह का मूल वेतन + डीए अथवा अधिकतम 4,00,000/- (रुपये चार लाख मात्र) जो भी कम हो, ऋण के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ii) वे सदस्य जिनकी सदस्यता 1 वर्ष या उससे अधिक एवं 3 वर्ष से कम है वे 25 माह का मूल वेतन + डीए अथवा अधिकतम 6,00,000/- (रुपये छः लाख मात्र) जो भी कम हो, ऋण के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। iii) वे सदस्य जिनकी सदस्यता 3 वर्ष या उससे अधिक एवं 5 वर्ष से कम है वे 25 माह का मूल वेतन + डीए अथवा अधिकतम 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) जो भी कम हो, ऋण के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। iv) वे सदस्य जिनकी सदस्यता 5 वर्ष अथवा उससे अधिक है वे 25 माह का मूल वेतन + डीए अथवा अधिकतम 12,00,000/- (रुपये बारह लाख मात्र) जो भी कम हो, ऋण के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। v) राजपत्रित अधिकारी वेतन से तीन सीटीडी की कटौती उपरान्त 25 माह का मूल वेतन + डी.ए. अथवा अधिकतम 1200000/-जो भी कम हो प्राप्त कर सकते हैं। राजपत्रित अधिकारी तीन माह की सदस्यता एवं तीन सीटीडी की कटौती वेतन से प्राप्त होने पर अधिकतम ऋण सीमा के पात्र होंगे एवं जमानत देने हेतु भी इसी शर्त के अनुसार पात्र होंगे। परन्तु यदि कोई राजपत्रित अधिकारी किसी भी कारण से उपरोक्त पात्रता पूर्ण नहीं करते हैं तो वे ऐसी स्थिति में किसी एक संचालक की सहमति पर एक माह की सदस्यता व एक सीटीडी की वेतन से कटौती के पश्चात् ऑउट ऑफ टर्न ऋण प्राप्त कर सकते हैं” vi) इस नीति में समय-समय पर संचालक मंडल द्वारा परिवर्तन किये जा सकते हैं जो कि ऋणी सदस्य को मान्य होंगे।
5.2	ऋण राशि स्वीकृत करते समय सदस्य द्वारा प्रस्तुत वेतनपर्ची से Gross Salary में से 25 प्रतिशत राशि छोड़ने एवं सदस्य की पिछले तीन माह की वेतनपर्ची का ट्रेक रिकार्ड बैंक करने पर पाई गई कटौतियां एवं समस्त कटौतियां कम करने के पश्चात् शेष बची राशि से सदस्य की भुगतान क्षमता के आधार पर स्वीकृत की जायेगी।

5.3	ऐसे सदस्य जिन्हें ओ.टी./टी.ए/के.एम.ए./एनडीए/ इंसेन्टिव/ कंटीजेंट/रनिंग भत्ता आदि की राशि नियमित रूप से प्राप्त होती है उन्हें भी स्वीकृत किये जाने वाले ऋण कटौती किशतों की गणना करते समय प्रतिमाह के आधार पर औसत निकाल कर जोड़ा जायेगा एवं शंका होने की स्थिति में शाखा प्रबन्धक द्वारा स्वयं के स्तर पर ऋणी सदस्य की विगत तीन माह की वेतनपर्ची की जांच करने के उपरान्त संतुष्ट होने पर ही ऐसी आय को ऋण कटौती किशतों की गणना में शामिल किया जायेगा।
5.4	भुगतान क्षमता की गणना करते समय मासिक आयकर राशि की कटौती को कटौती में शामिल किया जायेगा। लेकिन वित्तीय वर्ष के अंतिम तीन माह में कटौती होने वाली अतिरिक्त आयकर राशि को भुगतान क्षमता में शामिल नहीं किया जायेगा। किन्तु उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में मासिक आयकर कटौती को शामिल किया जायेगा।
6	ऋण भुगतान अवधि (Limit of Repayment of Loan)
6.1	सदस्य द्वारा ऋण अधिकतम 100 माह की किशतों में चुकाया जा सकता है लेकिन ऋण की वसूली ऋण वितरण के अगले माह की अंतिम तारीख से होगी। ऋण कटौती के माह अंको व शब्दों में ऋण फार्म, ऋण कटौती तालिका व चैकनोट में अंकित करना अनिवार्य होगा। (मैसर्स वी-सॉफ्ट फर्म से Implement नहीं होने तक यह कार्य मेनुअल किया जायेगा।)
7	ऋण भुगतान (Mode of Loan Payment) :-
7.1	ऋण स्वीकृति उपरान्त सदस्य को ऋण का भुगतान उसके बचत खाते जो कि रेलवे बैंक की किसी भी शाखा में खुला हो, के माध्यम से ही किया जा सकेगा। अंशधारक सदस्य का बचत खाता उसके सीटीडी खाते से संबद्ध रहेगा।
7.2	शाखा द्वारा ऋण भुगतान रीलिज करने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में यदि सदस्य द्वारा ऋण भुगतान नहीं लिया जाता है तो ऋण आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। यदि कोई सदस्य उसे पुनः नम्बर पर लगाना चाहते हैं तो उसे लिखित सहमति देनी होगी। सदस्य द्वारा उसके ऋण आवेदन पत्र के निरस्त होने पर केवल दो बार ही पुनः रि-इनवर्ड करवाया जा सकता है।
7.3	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ऋण राशि की वसूली हेतु सदस्यों से ऋण राशि के ₹1.00 लाख के गुणांक में अधिकतम 05 Blank चैक प्राप्त किये जायेगे। सभी चैको में राशि नहीं भरी जाये तथा डिफाल्टर होने के समय प्रथम चैक में डिफाल्ट की राशि भरकर वसूली की जायेगी। सदस्य को बैंक द्वारा चैक्स प्राप्ति की पावती देनी होगी। ऋण समाप्ति पर सदस्य से प्राप्त चैक्स यथास्थिति लौटा दिये जायेगे। ऋण के नवीनीकरण पर सदस्य से पूर्व ऋण पर प्राप्त किये गये चैक्स लौटाये जायेगे तथा स्वीकृत ऋण के अनुसार नये चैक्स लिये जायेगे। ➤ सदस्य से स्वीकृत किये गये ऋण के एवज में प्राप्त किये जाने वाले चैको पर सदस्य के समक्ष ही सदस्य खाता संख्या की सील लगाई जायेगी। ➤ सदस्य से इस संबंध में घोषणा भी ली जायेगी कि सदस्य यदि ऋण चुकाने में डिफाल्टर होता है तो उसे एवं उसके जमानतियों को नोटिस जारी किया जायेगा, फिर भी सदस्य ऋण राशि जमा नहीं करवाता है तो पुनः सदस्य को लीगल नोटिस देकर उसके द्वारा बैंक को दिये गये चैक को भुगतान हेतु उसके बैंक में लगाया जायेगा, अनादरित होने पर NI Act के Section-138 में प्रकरण दर्ज करवाने हेतु बैंक के दिशा निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।
7.4	सदस्य द्वारा ऋण आवेदन पत्र में ऋण कटौती हेतु जितनी किशतों की संख्या भरी गई है उसी आधार पर बैंक द्वारा भुगतान क्षमता की गणना कर ऋण को स्वीकृति प्रदान की जायेगी। अतः सदस्य ऋण पत्र भरते समय इस तथ्य को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखें। एक बार ऋण भुगतान के पश्चात् किशतों की संख्या में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा बैंक को सदस्य व जमानती की सेवानिवृति के अनुसार किशत कम करने का अधिकार होगा।
7.5	सदस्य द्वारा ऋण दस्तावेजों (Loan Documents) को Execute करते समय चैक के साथ स्वीकृत ऋण राशि को बचत खाते में हस्तान्तरित करने के संबंध में अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में सदस्य की स्वीकृत ऋण राशि सदस्य के बचत खाते में क्रेडिट की जायेगी।
8	ब्याज दर एवं ब्याज की गणना (Rate of Interest & Calculation) :-
8.1	ऋण पर ब्याज की दर संचालक मंडल द्वारा समय-समय पर लिये गये निर्णयानुसार लागू होगी।
8.2	ऋण पर ब्याज की गणना कटवामिति पद्धति (Diminishing Rate) के अनुसार होगी। सामान्य ऋण पर ब्याज की दर 11.50 प्रतिशत (दिनांक 01.10.17 से प्रभावी) एवं ऐसे सदस्य जिनका बैंक में सैलेरी खाता है उनके ऋण पर ब्याज दर 11.00 प्रतिशत (दिनांक 01.07.18 से प्रभावी) लागू होगी। दिनांक 01.12.14 से पूर्व ऋण भुगतान किये गये सदस्यों के ऋण पर तत्कालीन Flat Rate के अनुसार Diminishing Rate में समायोजित कर दिया गया है। परन्तु पुराने ऋण खातों के नवीनीकरण पर ब्याज दर की पूर्व शर्तें ही लागू होगी।
8.3	ब्याज की गणना सदस्य द्वारा ऋण भुगतान प्राप्त करने की तिथि से की जायेगी। यह दरे ऋण चुकता होने तक अपरिवर्तनीय रहेगी।
8.4	Larsgeses/VRS एवं Medically decategorised सदस्यों के ओवरड्यू ब्याज को माफ करने का निर्णय लेने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित सदस्य की सभी जमाओं (1 शेयर छोड़कर) को समायोजित करने के उपरान्त ही ब्याज माफी पर विचार किया जायेगा व आश्रित सदस्य को बैंक का सदस्य बनाये जाने हेतु प्रेरित किया जायेगा तथा ऋण कटौती हेतु सहमति प्राप्त की जायेगी। आश्रित को वेतन मिलना प्रारम्भ होने अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों की निपटारा राशि का भुगतान होने पर वह बैंक की किशत की राशि जमा करवायेगा। किन्तु सदस्य के रेल सेवानिवृत्त एवं उसे निपटारा राशि के भुगतान के मध्य की अवधि का सामान्य ऋण ब्याज दर से ब्याज का भुगतान करना ही पड़ेगा। ऐसे ऋणी सदस्य का निपटारा तभी हो सकेगा। यह निर्णय लाजेंसी स्कीम/ वीआरएस स्कीम के अन्तर्गत सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों पर ही लागू रहेगा।

	दिनांक 01.09.15 से यदि सदस्य निर्धारित अवधि में ऋण चुकाने में असमर्थ रहता है तो प्रत्येक डिफाल्टर किश्त पर उससे 2 प्रतिशत Penal Interest वसूला जायेगा। (बी.ओ.डी-22.08.15) Overdue ब्याज की वसूली मासिक आधार पर की जायेगी।																				
8.5	ऋण प्राप्त के पश्चात् सदस्य का भी यह दायित्व होगा कि वह निर्धारित समय पर अपनी ऋण कटौती प्रारम्भ करवाये। उसे एक ऋण कटौती तालिका अपने कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु दी जायेगी। ऋण पूर्ण होने की स्थिति में प्राप्त कटौती की राशि बचत खाते के माध्यम से ही रिफण्ड की जायेगी। (बी.ओ.डी 27.11.15)																				
8.6	सदस्य की ऋण कटौती उसके वेतन से की जायेगी तथा ऋण कटौती तालिका विभाग को भेजना अनिवार्य होगा, परन्तु किन्हीं अपरिहार्य कारणों से यदि वेतन से कटौती नहीं होने अथवा आंशिक कटौती होने पर सदस्य निर्धारित किश्तों के अनुसार राशि नकद भी जमा करवा सकता है।																				
8.7	सदस्य से ऋण की कटौती प्राप्त होने पर सर्वप्रथम ब्याज तत्पश्चात् मूलधन के पेटे जमा किया जायेगा। आंशिक रिकवरी प्राप्त होने पर विभाग को पुनः ऋण कटौती तालिका भिजवाकर नियमित कटौती राशि हेतु लिखा जायेगा तथा सीटीडी डिफाल्ट राशि नकद जमा की जायेगी एवं रिवाईज्ड कटौती तालिका जारी की जायेगी। अंतिम सीटीडी की कटौती वेतन से आना आवश्यक होगा।																				
8.8	यदि रेलवे विभाग से त्रुटिवश सदस्य की कटौती JCCS अथवा अन्य रेलवे सहकारी समितियां बैंक में चली जाती है तो ऐसे सदस्य की यह राशि प्राप्त होने तक की अवधि का Over Due नहीं लिया जायेगा लेकिन शाखा प्रबन्धक सदस्यों की ऋण कटौती प्राप्त नहीं होने मासिक स्तर पर जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करेंगे। तथा कटौती प्राप्त होने पर सदस्य को डिफाल्टर की श्रेणी से unmark कर दिया जायेगा।																				
9	ऋण का नवीनीकरण (Renewal of Loan):-																				
9.1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>अतिदेय अवधि</th> <th>समयावधि</th> <th>नवीनीकरण की शर्तें</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td rowspan="2">03 माह तक डिफाल्टर</td> <td>30 प्रतिशत अवधि पूर्ण नहीं होने पर</td> <td>पूर्ण बकाया ऋण मय ब्याज जमा करवाने के 15 दिवस पश्चात् ऋण आवेदन हेतु पात्र होगा।</td> </tr> <tr> <td>30 प्रतिशत अवधि पूर्ण होने पर</td> <td>ऋणी सदस्य आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर कभी भी ऋण का नवीनीकरण करवा सकता है।</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td rowspan="2">03 माह से अधिक व 06 माह तक डिफाल्टर</td> <td>30 प्रतिशत अवधि पूर्ण नहीं होने पर</td> <td>पूर्ण बकाया ऋण मय ब्याज जमा करवाने के 15 दिवस पश्चात् ऋण आवेदन हेतु पात्र होगा।</td> </tr> <tr> <td>30 प्रतिशत अवधि पूर्ण होने पर</td> <td>ऋण नवीनीकरण हेतु स्वीकृत ऋण राशि की 30 प्रतिशत रिकवरी राशि प्राप्त होना अनिवार्य होगा।</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>06 माह से अधिक डिफाल्टर</td> <td></td> <td>यदि पूर्व स्वीकृत लिमिट में ही नवीनीकरण करवाता है तो पूर्ण ऋण जमा करवाने के 15 दिन पश्चात्। यदि पूर्व स्वीकृत लिमिट में वृद्धि करवाकर ऋण नवीनीकरण करवाता है तो पूर्ण बकाया ऋण जमा करवाने के 03 माह पश्चात् ऋण हेतु आवेदन कर सकता है।</td> </tr> </tbody> </table> <p>डिफाल्टर सदस्य से डिफाल्ट राशि की वसूली करते समय सीटीडी से वसूली की गई राशि भी जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये।</p>	क्र.सं.	अतिदेय अवधि	समयावधि	नवीनीकरण की शर्तें	1	03 माह तक डिफाल्टर	30 प्रतिशत अवधि पूर्ण नहीं होने पर	पूर्ण बकाया ऋण मय ब्याज जमा करवाने के 15 दिवस पश्चात् ऋण आवेदन हेतु पात्र होगा।	30 प्रतिशत अवधि पूर्ण होने पर	ऋणी सदस्य आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर कभी भी ऋण का नवीनीकरण करवा सकता है।	2	03 माह से अधिक व 06 माह तक डिफाल्टर	30 प्रतिशत अवधि पूर्ण नहीं होने पर	पूर्ण बकाया ऋण मय ब्याज जमा करवाने के 15 दिवस पश्चात् ऋण आवेदन हेतु पात्र होगा।	30 प्रतिशत अवधि पूर्ण होने पर	ऋण नवीनीकरण हेतु स्वीकृत ऋण राशि की 30 प्रतिशत रिकवरी राशि प्राप्त होना अनिवार्य होगा।	3	06 माह से अधिक डिफाल्टर		यदि पूर्व स्वीकृत लिमिट में ही नवीनीकरण करवाता है तो पूर्ण ऋण जमा करवाने के 15 दिन पश्चात्। यदि पूर्व स्वीकृत लिमिट में वृद्धि करवाकर ऋण नवीनीकरण करवाता है तो पूर्ण बकाया ऋण जमा करवाने के 03 माह पश्चात् ऋण हेतु आवेदन कर सकता है।
क्र.सं.	अतिदेय अवधि	समयावधि	नवीनीकरण की शर्तें																		
1	03 माह तक डिफाल्टर	30 प्रतिशत अवधि पूर्ण नहीं होने पर	पूर्ण बकाया ऋण मय ब्याज जमा करवाने के 15 दिवस पश्चात् ऋण आवेदन हेतु पात्र होगा।																		
		30 प्रतिशत अवधि पूर्ण होने पर	ऋणी सदस्य आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर कभी भी ऋण का नवीनीकरण करवा सकता है।																		
2	03 माह से अधिक व 06 माह तक डिफाल्टर	30 प्रतिशत अवधि पूर्ण नहीं होने पर	पूर्ण बकाया ऋण मय ब्याज जमा करवाने के 15 दिवस पश्चात् ऋण आवेदन हेतु पात्र होगा।																		
		30 प्रतिशत अवधि पूर्ण होने पर	ऋण नवीनीकरण हेतु स्वीकृत ऋण राशि की 30 प्रतिशत रिकवरी राशि प्राप्त होना अनिवार्य होगा।																		
3	06 माह से अधिक डिफाल्टर		यदि पूर्व स्वीकृत लिमिट में ही नवीनीकरण करवाता है तो पूर्ण ऋण जमा करवाने के 15 दिन पश्चात्। यदि पूर्व स्वीकृत लिमिट में वृद्धि करवाकर ऋण नवीनीकरण करवाता है तो पूर्ण बकाया ऋण जमा करवाने के 03 माह पश्चात् ऋण हेतु आवेदन कर सकता है।																		
9.2	यदि सदस्य द्वारा सीटीडी के Against ऋण प्राप्त कर रखा है। यदि वह चाहे तो कभी भी सामान्य ऋण हेतु आवेदन कर सकता है, उसके ऋण से बकाया राशि का समायोजन नये ऋण की स्वीकृति के समय कर लिया जायेगा। परन्तु अन्य शर्तें यथावत ही रहेगी।																				
10	डिफाल्टर सदस्य(Defaulters):-																				
10.1	जो सदस्य बैंक की देनदारियों को निर्धारित समयावधि में नहीं चुका पाता है, वह डिफाल्टर की श्रेणी में आता है। साथ ही इसमें वे सदस्य भी सम्मिलित हैं जो बैंक के साथ किये गये अनुबंध, बैंक उपनियम, नियमों का उल्लंघन करते हैं वे भी डिफाल्टर माने जायेंगे। लेकिन ऋणी सदस्य के ऋण व सीटीडी खातों की जांच करने पर पायी गई सम्पूर्ण बकाया डिफाल्ट राशि एक साथ जमा करवाने के पश्चात् वे ऋण नीति सं-9.1 के अनुसार ऋण लेने हेतु पात्र होंगे।																				
10.2	<p>a) प्रत्येक सदस्य की सीटीडी एवं ऋण की कटौती प्रत्येक माह वेतन से नियमित रूप से आनी आवश्यक है किन्हीं कारणों से यदि वेतन से ऋण की कटौती नहीं हो पाती है तो सदस्य नगद रूप में अपनी कटौती (बकाया ऋण व ब्याज की राशि) जमा करवा सकता है। परन्तु बैंक एवं सदस्य द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि सीटीडी की अंतिम कटौती वेतन से ही हो। अन्यथा ऐसा सदस्य डिफाल्टर माना जायेगा। (मैसर्स वी-सॉफ्ट फर्म से Implement नहीं होने तक यह कार्य मेनुअल किया जायेगा।)</p> <p>b) सदस्य द्वारा ऋण अथवा अन्य किसी प्रकार की देनदारी में डिफाल्टर होने की स्थिति में बैंक को उपनियमों एवं संचालक मंडल द्वारा लिये गये निर्णयानुसार, सीटीडी एवं अन्य जमा राशियों से वसूली करने का अधिकार होगा व उक्त सीटीडी से ली गई राशि की गणना ऋण कटौती की किश्त के रूप में मानी जायेगी।</p>																				

10.3	बैंक द्वारा डिफाल्टर ऋणी सदस्य से उसकी डिफाल्टर हुई राशि पर नियमानुसार 2 प्रतिशत की दर से मासिक आधार पर Penal Interest वसूला जायेगा।
10.4	डिफाल्टर सदस्य के खाते से ऋण राशि के समायोजन के समय सीटीडी व शेयर खाते में ₹100/- की राशि छोड़कर अन्य सभी राशि का हस्तान्तरण किया जा सकेगा व शेयर की राशि का हस्तान्तरण मुख्यालय की अनुमति के पश्चात् ही किया जा सकेगा।
10.5	1) किसी सदस्य की रिकवरी नहीं आने पर ऋणी व जमानती को नोटिस दिये जाने की प्रक्रिया पूरी की जायेगी, किन्तु 60 दिन की अवधि में शाखा प्रबन्धक यह सुनिश्चित करेंगे कि ऋणी व जमानतियों को उचित नोटिस जारी कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत NI Act -138 के अन्तर्गत कार्यवाही करना भी शामिल है। 2) शाखा द्वारा सदस्य व जमानती सदस्यों के स्थाई निवास स्थान के पते व मोबाईल नम्बर भी प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।
10.6	यदि डिफाल्टर ऋणी सदस्य अपनी कटौती पुनः चालू करवा देता है या नकद जमा करवाता है तो इस जमा राशि का लाभ उसके जमानतियों को दिया जायेगा। यदि किसी ऋणी सदस्य के डिफाल्टर ऋण की वसूली उसके जमानती सदस्यों की सीटीडी जमा से की जाती है तथा कुछ समय पश्चात् ऋणी सदस्य के निपटारा विभाग से राशि कटकर बैंक को प्राप्त होती है या ऋणी सदस्य द्वारा डिफाल्टर राशि जमा करवा दी जाती है तो इस स्थिति में उसके जमानतियों को दी जाने वाली क्रेडिट, उस अवधि तक के ब्याज सहित दी जायेगी। ऋणी सदस्य से सीटीडी की प्रचलित दर से ब्याज की राशि वसूल कर जमानतियों को क्रेडिट दी जाये।
10.7	दिनांक 01.12.14 से स्वीकृत व वितरित किये गये ऋण की मासिक किश्ते ईएमआई की भांति मान्य होगी व दिनांक 01.12.14 से पूर्व के स्वीकृत व वितरित किये गये ऋण पर मासिक किश्त ऋण व ब्याज के रूप में मान्य होगी। यही गणना एम.एल.आई. एफ. में भी की जायेगी।
11	जमानत एवं दायित्व (Surety & Liability):-
11.1	i) ऐसा सदस्य जिसका खाता एनपीए की श्रेणी में शामिल है, उस सदस्य की जमानत किसी भी सदस्य के ऋण पेटे मान्य (Acceptable) नहीं होगी। अतः ऋण आवेदन में जमानती की जांच करते समय केवल उन्ही सदस्यों की जमानत मान्य होगी जिनके ऋण खाते Standard Category में वर्गीकृत है। सीटीडी से वसूल की गई राशि को ऋण की किश्त माना जायेगा। ii) यदि जमानती सदस्य ने ऋण नहीं ले रखा/ऋण ले रखा है तो उनका भी विगत 12 माह का सीटीडी/ऋण कटौतियों का विवरण देखा जायेगा जिसमें से 09 कटौती वेतन से आना अनिवार्य होगा तथा 03 कटौती नकद जमा करवाई जा सकती है। परन्तु अंतिम ऋण/सीटीडी राशि वेतन से प्राप्त होना अनिवार्य है। iii) प्रत्येक सदस्य अधिकतम 2 सदस्यों को जमानत दे सकता है। iv) जमानती सदस्य को यह भलीभांति ज्ञात रहे कि उनके द्वारा जिसे जमानत दी गई है उस ऋणी सदस्य के द्वारा ऋण भुगतान करने में किसी भी प्रकार से डिफाल्टर होने पर, ऋण चुकाने का दायित्व जमानतियों पर होगा। इस दायित्व की वसूली जमानती की जमाओं से एवं रेलवे विभाग से मिलने वाली DCRG राशि से वसूल की जा सकेगी। v) रेलवे विभाग से एकल खिडकी के माध्यम से या ऋणी सदस्य के स्वयं के द्वारा ऋण फार्म प्रस्तुत करने पर प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों को शाखा प्रबन्धक द्वारा बैंक में प्राप्त करने की तिथि से इनवर्ड किया जायेगा। vi) ऋणी/जमानती सदस्य की मृत्यु होने पर संबंधित ऋणी/जमानती सदस्य को शाखा द्वारा जमानत खाली करने हेतु नोटिस दिया जायेगा।
11.2	जमानती सदस्य का यह भी दायित्व है कि जिस सदस्य के ऋण की जमानत दी गई है उसका ऋण भुगतान उसकी सेवानिवृत्ति से 6 माह पूर्व चुकता हो जाये, अन्यथा बैंक द्वारा डिफाल्टर ऋणी सदस्य की राशि जमानती की जमाओं एवं रेलवे विभाग से निपटारा राशि में से वसूल की जा सकती है।
11.3	यदि सदस्य का स्थानान्तरण बैंक के कार्यक्षेत्र राजस्थान से अन्यत्र हो जाता है अथवा ऐसे यूनिट में हो जाता है जिसका नियंत्रण अधिकारी बैंक कार्यक्षेत्र के बाहर है, या ऐसे डिविजन में हो जाता है जहां बैंक कारोबार नहीं करता है, तो ऋणी सदस्य का यह दायित्व होगा कि वह बैंक का बकाया ऋण जमा करवाकर ही कार्यमुक्त हो। सदस्य की मृत्यु/लार्जेंसी/वीआरएस/सेवानिवृत्ति/रिमूवल केस/डिफाल्टर केस में यदि ऋण बकाया है तो सीटीडी में जमा राशि बैंक द्वारा बकाया ऋण में समायोजित की जायेगी तथा शेष बकाया ऋण ब्याज की वसूली जमानतियों के सीटीडी खाते से की जायेगी।
11.4	ऐसा सदस्य जिसके द्वारा दी गई जमानत में से यदि किसी जमानती का आउट डिविजन अर्थात बैंक के कार्यक्षेत्र से बाहर स्थानान्तरण हो जाता है तो ऐसे सभी मामले कार्यक्षेत्र से बाहर स्थानान्तरण होने पर शाखाओं द्वारा पूर्ण तथ्यों के साथ ऋण कमेटी को प्रस्तुत किये जायेगे तथा ऋण कमेटी द्वारा प्रत्येक केस के गुण व दोष पर विचार कर निर्णय लिया जायेगा। वह स्थानान्तरित हुये सदस्य के स्थान पर अन्य सदस्य को जमानत दे सकता है परन्तु वह अपने दायित्व (तीनों जमानतियों) से ऋण की पूर्ण वसूली होने तक मुक्त नहीं हो सकेगा। ऐसा सदस्य जिसने दो जमानते दे रखी थी और इसमें से किसी जमानती की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वह सदस्य मृत्यु होने वाले सदस्य के स्थान पर तीसरी जमानत दे सकता है जो कि शाखा प्रबन्धक मय पूर्ण विवरण व टिप्पणी सहित मुख्यालय में प्रस्तुत करेगा जिसकी स्वीकृति ऋण कमेटी द्वारा दी जायेगी। परन्तु ऐसा सदस्य अपने दायित्व से ऋण वसूली पूर्ण होने तक मुक्त नहीं माना जा सकता है।

11.5	ऋणी सदस्य की मृत्यु होने, बैंक कार्यक्षेत्र से बाहर स्थानान्तरित हो जाने, या ऐसे डिवीजन में हो जाता है जहां बैंक कारोबार नहीं करता है, रेल सेवा से पृथक कर दिये जाये, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने या 3 वर्ष में सेवानिवृत्ति होने वाली हो, के कारण यदि उसकी जमानत मान्य नहीं हो रही हो तो ऐसी स्थिति में ही सदस्य सीटीडी के Against में जमानत खाली करवा सकते हैं तथा ऐसे में दोनों जमानती सदस्य अपने दायित्व से मुक्त माना जायेगा, जिसका सदस्यता से त्यागपत्र स्वीकृत भी किया जा सकेगा।
11.6	यदि किसी ऋणी सदस्य के सीटीडी खाते में जमा राशि पर Lien Note करके जमानतियों को दायित्व मुक्त करना आवश्यक हो तो अपरिहार्य परिस्थितियों (पैरा सं-11.5 में वर्णित) में निम्न शर्तों पर ऐसा करने हेतु विचार किया जा सकता है, जिन्हें ऋण समिति के सम्मुख निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। यह अधिकार मुख्यालय में रहेगा तथा ऐसे केस में मुख्यालय अधिकृत करेगा। 1. यदि ऋणी सदस्य का बकाया ऋण उसकी जमा सीटीडी की राशि से 80 प्रतिशत या उससे कम है तो ऋणी सदस्य Against CTD जमानत खाली कर सकता है तथा ऐसे जमानती सदस्य अपने दायित्व से मुक्त माना जायेगा, जिसका सदस्यता से त्यागपत्र स्वीकृत भी किया जा सकेगा। 2. किसी भी ऋणी सदस्य को उसकी जमा सीटीडी राशि के Against जमानत के दायित्वों से मुक्त किया जाता है तो उसके खाते में "Against CTD" अंकित किया जाना आवश्यक होगा। 3. ऋणी के जमानती को जमानत के दायित्व से मुक्त करने से पूर्व शाखा प्रबन्धक यह सुनिश्चित करे कि सदस्य डिफाल्टर नहीं है तथा कटौती लगातार प्राप्त हो रही है एवं उस पर किसी अन्य प्रकार का दायित्व नहीं बनता है तथा इससे बैंक को किसी प्रकार की आर्थिक हानि नहीं हो रही है। शाखा प्रबन्धक Against CTD जमानत रिक्त करने की अनुशंसा के ठोस व औचित्यपूर्ण कारण स्पष्ट करेगा।
11.7	जमानती सदस्य यदि जमानत वापस लेना चाहता है तो ऋण भुगतान से पूर्व लिखित आवेदन प्रस्तुत कर ही जमानत वापस ले सकता है। किन्तु पुनः उसी ऋण आवेदन पत्र में ऋणी को जमानत नहीं दे सकेगा, ऋण भुगतान के पश्चात् जमानत वापस नहीं ली जा सकेगी।
11.8	MRF/त्यागपत्र मामलों में यदि Against CTD जमानत खाली हो रही है तो बैंक स्वतः ही जमानत खाली करने हेतु कार्यवाही कर सकेगा व शाखा प्रबन्धक दायित्व संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेगा ऐसे केस ऋण कमेटी में Put up करेंगे। सेटलमेंट के मामले में फार्म भरवाना पड़ेगा व जिसकी अनुमति ऋण समिति देगी।
11.9	यदि कोई ऋणी सदस्य अपनी दूसरी जमानत बदलना चाहता है तो ऋण स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के पश्चात् जमानत बदली फार्म ऋण कमेटी की सभा में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा तथा ऋण कमेटी की स्वीकृति के पश्चात् ही जमानत बदली जायेगी तथा जमानत बदली फार्म को ऋण आवेदन पत्र के साथ मूल फाईल में सुरक्षित रखा जायेगा। प्रथम जमानत पूर्व की भांति शाखा स्तर पर ही बदली जा सकती है।
12	विशेष कोटा प्रणाली से ऋण भुगतान (Out of turn Loan Payment)
12.1	बैंक के संचालकगणो/ भूतपूर्व संचालकगण यदि सदस्य हो तो, बैंक कर्मचारियों, रेलवे विभाग के राजपत्रित अधिकारियों को (जो नियम सं-1.2(ii) के अन्तर्गत नहीं आते हैं तो दूसरी बार आवेदन करने पर) ऋण आवेदन करने पर पात्रता अनुसार Out of Turn प्राथमिकता देते हुये ऋण का भुगतान किया जा सकता है। ऐसे ऋण आवेदन पत्र Post Facto Sanction हेतु ऋण समिति में भेजे जायेंगे। बैंक के सेवारत कर्मचारियों को भी उपरोक्त सुविधा देय है। इस सुविधा के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने वाले सदस्यों पर ऋण की अन्य सभी शर्तें यथावत लागू रहेगी।
13	सदस्य ऋण बीमा कोष (Members Loan Insurance Fund) :-
13.1	i) ऋण भुगतान प्राप्त करने की तिथि से 30 दिवस की अवधि के पश्चात् मृत्यु होने (दुर्घटना में मृत्यु होने के अलावा) पर लाभ देय होगा, परन्तु 30 दिवस की अवधि में यदि ऋणी सदस्य की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो वह एमएलआईएफ योजना के अन्दर covered रहेगा, बशर्ते उसकी दुर्घटना संबंधी रिपोर्ट, दस्तावेजों से दुर्घटना की पुष्टि होती हो। सदस्यों से ऋण की घोषित पूर्ण किश्तों के हिसाब से ही 0.25 प्रतिशत की दर से प्रीमियम की राशि प्राप्त की जायेगी (Minimum MLIF ₹500/-), इसमें कोई Refund देय नहीं होगा तथा इसे एम.एल.आई.एफ. कोष में स्थानान्तरित किया जायेगा। 30 दिवस में मृत्यु होने व MLIF का लाभ नहीं मिलने पर मृतक सदस्य से प्राप्त MLIF प्रीमियम लौटा दी जायेगी। अगर सदस्य का स्वीकृत ऋण अवधिपार है तो ऐसे सदस्य को एम.एल.आई.एफ. का लाभ देय नहीं होगा। ii) यदि कोई सदस्य अपने बकाया ऋण को समय पूर्व नकद जमा/नवीनीकरण करवाता है तो ऋण रहने तक की अवधि की एम.एल.आई.एफ. की राशि वसूली जायेगी। शेष अवधि की एम.एल.आई.एफ. राशि का समायोजन ऋण नवीनीकरण के समय गणना की गई एम.एल.आई.एफ. की राशि में किया जायेगा। लेकिन किसी भी परिस्थिति में सदस्य को एम.एल.आई.एफ. की राशि का नकद भुगतान नहीं किया जायेगा। iii) यदि किसी सदस्य को अचानक प्रथम Heart Attack हुआ हो एवं उसकी मृत्यु हो जाये तो ऐसे प्रकरण में MLIF का लाभ दिया जा सकता है। परन्तु यदि पूर्व से ही सदस्य हृदय रोग से पीड़ित है तो ऐसे मामले में यह लाभ देय नहीं होगा। शाखा प्रबन्धक इस प्रकार के प्रकरणों की जांच चिकित्सक से विचार विमर्श कर करेगे तथा इस संबंध में अपनी स्पष्ट अनुशंसा करते हुये टिप्पणी सहित मुख्यालय में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगे।
13.2	मृतक सदस्य का शेष ऋण उसकी जमाओं से, रेलवे विभाग के सेटलमेंट से, जमानतियों से यथा स्थिति वसूल किया जायेगा।

13.3	यदि सदस्य का Term Loan & Against CTD ऋण बकाया था और वह ऋण बीमित था एवं नियमों के अन्तर्गत है, तो सदस्य की मृत्यु के पश्चात् की शेष ऋण राशि मय ब्याज एम.एल.आई.एफ. योजना के अन्तर्गत माफ कर दी जायेगी।
13.4	यदि सदस्य का ऋण बकाया था और वह ऋण बीमित था तो सदस्य की मृत्यु के पश्चात् शेष ऋण राशि नियमानुसार एम.एल.आई.एफ. योजना के अन्तर्गत माफ कर दी जायेगी। परन्तु यदि स्वर्गीय सदस्य ऋण चुकाने में डिफाल्टर है तो डिफाल्ट अवधि की राशि का लाभ एम.एल.आई.एफ. से नहीं दिया जायेगा। बीमित ऋणी की मृत्युतिथि के पश्चात् ऋण खाते में किसी प्रकार ब्याज चार्ज नहीं किया जायेगा और यदि कम्प्यूटर द्वारा उक्त तिथि के पश्चात् ब्याज चार्ज कर लिया गया है तो एम.एल.आई.एफ. का आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु भेजने से पूर्व ऐसे चार्ज किये गये ब्याज को समायोजित करने के पश्चात् ही एम.एल.आई.एफ. का आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु मुख्यालय भेजा जायेगा। अगर सदस्य का स्वीकृत ऋण अवधिपार है तो ऐसे सदस्य को एम.एल.आई.एफ. का लाभ देय नहीं होगा।
13.5	एम.एल.आई.एफ. से समायोजन के प्रकरणों में Date of Loan Disbursement एवं Date of Death की गणना के आधार की अवधि को ध्यान में रखते हुये ही एम.एल.आई.एफ. से समायोजन की राशि की गणना की जायेगी। एम.एल.आई.एफ. का लाभ देकर सीटीडी खाते में क्रेडिट कर, ऋण खाते में समायोजन कर ऋण खाते को बंद किया जाये। MLIF प्रकरण में यदि संबंधित सदस्य डिफाल्टर नहीं है तो ऐसे सदस्य की MLIF राशि as on date बकाया ऋण राशि से अधिक ना हो। सदस्य की MLIF राशि as on date बकाया ऋण राशि से अधिक ना हो इसकी गणना हेतु निम्नलिखित नेविगेशन के अनुसार राशि की जानकारी प्राप्त कर तदनुसार गणना की जाये REPORTS--->LEDGER--->EXCUTABLE--->ACCOUNTWISE REPAYMENT SCHEDULE ध्यान रहे जो रिपोर्ट डिस्ले हो, उसमें किशतों की संख्या, किशतों की राशि, स्वीकृत राशि, स्वीकृत तारीख, प्रथम किशत की देय तिथि आदि सही हो।
14	सदस्य सहायता एवं सुरक्षा कोष (M.R.S.F.) The subsidiary Rules for Members Relief Fund and Security Fund shall be as under : (i) Applicability: This Scheme will be for all share holders of the Bank irrespective of the place of posting and will cover death due to all causes natural or otherwise and also for grievous injuries. (ii) Benefits: The amount payable to members or their deponents will be as under :- 1. On death 25000.00 2. In case of injury the following benefits will be given : (i) for loss of both Legs/arms/sight of both eyes -- 15000.00 (20000 after approval of RCS) (ii) for loss of one leg/one arm or loss of sight of one eye 10000.00 (iii) for loss of finger or Thumb of any Hand& Leg - 5000.00 (a) An advance of Rs. 5000/- will be immediately given to the nominee of deceased member on producing an application to the Branch Manager. This amount will be adjusted while making final payment. (b) Bank dues will be recovered before making final payment (c) In absence of nomination, this amount will be paid to the dependant/dependants on producing succession certificate or to whom settlement dues are paid by the Railway Administration. (d) The Board of directors will only be competent to consider claims on deaths due to natural calamities /violence etc. (iii) Contribution towards the Fund : Every member of the Bank will contribute Rs. 1500+500 to this Scheme from the amount credit in his compulsory Thrift Deposit Account. In case where the amount at the credit of CTD Account falls short of Rs. 2000/- the shareholder can pay in cash, or the amount will be recovered from Loan sanctioned to him. In case of new member has to pay this amount in cash or by recovery from the Loan sanctioned to them. Out of Rs. 2000/-Rs. 1500/- shall be credited to MS a/c which will be refunded at the time of settlement, on which no interest shall be paid to the member and Rs. 500/- shall be credited to MRF Fund shall not be refundable. (सदस्य अपना Contribution नकद जमा करवा सकता है, अन्यथा बैंक उसकी सीटीडी की जमा राशि में से भी Contribution प्राप्त करने हेतु अधिकृत होगा) (iv) Eligibility : The benefits of the scheme will be given only to those who have contributed Rs. 2000/- to the scheme before event Death/accident. (v) Death Certificate: The bank will accept certificate granted by the Railway administration regarding natural/accident death on duty or off duty. (vi) Claim: The claim for relief from this fund will be made on the prescribed form to the Chief Executive Officer of the Bank within Five years of occurrence of the event. (vii) Authority : The BOD under the rules framed by them from time to time will sanction eligible amount by Loan Committee.
15	सदस्य की मृत्युपरान्त देय लाभों का भुगतान :-
15.1	सदस्य की मृत्यु हो जाने पर बैंक की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उसके नामित व्यक्ति को दिया जायेगा तथा स्वर्गीय सदस्य की जमा राशियों व एम.आर.एफ. राशि का भुगतान A/c Payee Cheque के माध्यम से ही किया जायेगा।
15.2	नामित यदि अवस्यक है तो ऐसी अवस्था में उसके संरक्षक के संरक्षण में देय राशि की एफ.डी.आर. नामित के वयस्क होने तक की अवधि हेतु बनाकर दे दी जायेगी।
15.3	किन्तु मृत्यु से पूर्व की देनदारियां मृतक सदस्य की जमा सीटीडी, एम.आर.एफ., शेयर (1 शेयर छोड़कर) राशि से वसूल की जायेगी यदि फिर भी देनदारी शेष बचती है तो सदस्य की रेलवे से प्राप्त होने वाली निपटारा राशि से वसूलने के प्रयास किये जायेंगे अन्यथा दोनों जमानतियों के सीटीडी व शेयर खाते से यह राशि वसूली जायेगी।

15.4	सदस्य सहायता कोष से अंग-भंग होने की स्थिति में दी जाने वाली राशि के मामले में संचालक मंडल द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अंग-भंग की परिभाषा में किसी भी अंग को आंशिक या पूर्ण भंग होने पर ही अंग-भंग माना जायेगा। सदस्य को अंग-भंग के प्रमाण स्वरूप फोटो एवं डाक्टरी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इस योजना का लाभ सदस्य को सदस्यता अवधि के दौरान अंग भंग होने पर ही दिया जायेगा।
15.5	MRF/त्यागपत्र मामलों में यदि Against CTD जमानत खाली हो रही है तो बैंक स्वतः ही जमानत खाली कर सेटलमेंट की कार्यवाही कर सकेगा। शाखा प्रबन्धक दायित्व संबंधी जानकारी प्राप्त कर ऐसे केस ऋण कमेटी के समक्ष Put up करेंगे। सेटलमेंट के मामले में फार्म भरवाना पडेगा।
15.6	शाखाओं में त्यागपत्र, एम.आर.एफ. व एम.एल.आई.एफ. आदि के सेटलमेंट का भुगतान शाखा में आवेदन पत्र इनवर्ड होने के 7 दिवस में शाखा में फंड की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुये किया जायेगा।
15.7	सदस्य के स्वर्गवास के उपरान्त नामित का उल्लेख नहीं होने एवं नामित का भी स्वर्गवास हो जाने की स्थिति में अथवा नामित पर संशय की स्थिति में यदि स्वर्गीय सदस्य की कुल जमा राशि ₹4,00,000/- तक है तो ऐसी परिस्थिति में सदस्य के उत्तराधिकारी/ उत्तराधिकारियों से Indemnity Bond भरवाया जायेगा तथा क्षतिपूर्ति बंधक पत्र पर आवेदनकर्ताओं के अतिरिक्त ऐसे दो व्यक्तियों से जमानती/साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करवाये जाये जो कि बैंक के सदस्य हो तथा भारतीय रेलवे के नियमित कर्मचारी हो ताकि विवाद की स्थिति में उनसे यह राशि वसूल कर सकने में परेशानी ना हो तथा ₹4,00,000/- से अधिक की जमा राशि के मामले में Succession Certificate लाना अनिवार्य होगा। शाखा प्रबन्धक/ सहायक शाखा प्रबन्धक ऐसे प्रकरण की जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रकरण के साथ प्रस्तुत करेंगे। (इस राशि में शेयर + सीटीडी + एमएस + ब्याज को सम्मिलित माना जायेगा। एसबी, आरडी व एफडीआर इसमें शामिल नहीं होंगे इसके लिये पृथक से कार्यवाही करनी होगी।) यदि सदस्य की पति/पत्नी, नामित की मृत्यु हो चुकी है तो सदस्य के शेष बचे आश्रित पुत्र/पुत्रियों को निपटारा राशि का भुगतान समान अनुपात में किया जायेगा।
15.8	बैंक नियमानुसार सदस्य की बैंक जमाओं को ही Deposit गणना में माना जाना चाहिये। रेलवे से Loan के Against में प्राप्त राशि को यदि रिफण्ड करना है तो उसका भुगतान रेलवे के द्वारा जिस व्यक्ति/आश्रित को किया है, को किया जायेगा। बैंक नियमानुसार सदस्य की बैंक जमाओं को ही डिपोजिट गणना में माना जाना चाहिये। रेलवे से Loan के Against में कटवाई गई राशि इस श्रेणी में नहीं आती। रेलवे से प्राप्त राशि का यदि रिफण्ड करना है तो उसे करना होगा जिसे रेलवे ने भुगतान किया है। अतः रेलवे विभाग से प्राप्त राशि कम करके Indemnity Bond प्राप्त करके भुगतान प्राप्त किया जा सकता है।
16	ऋण समिति की सभा एवं शक्तियां:-
16.1	ऋण समितियों की बैठक प्रत्येक माह में तीन बार आयोजित की जायेगी तथा ऋण समिति की सभा फंड की उपलब्धता की समीक्षा करने के पश्चात् ही बुलाई जायेगी।
16.2	बैंक के संचालक मंडल द्वारा नियुक्त ऋण समिति, ऋण स्वीकृत एवं एम.एल.आई.एफ की सहायता की स्वीकृति करने हेतु अधिकृत होगी। समिति की स्वीकृति के आधार पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदेश जारी करेंगे। ऋण पॉलिसी के अनुसार ऋण आवेदन पत्र की Scrutiny की समस्त जिम्मेदारी शाखा स्तर पर शाखा प्रबन्धक एवं संबंधित अधिकारी/लिपिक की होगी एवं मुख्यालय स्तर पर प्रबन्धक मुख्यालय एवं संबंधित लिपिक की होगी।
16.3	ऋण आवेदन पत्रों के संबंध में किसी भी प्रकार के विवादों के संबंध में अंतिम निर्णय का अधिकार संचालक मंडल में निहित होगा तथा संचालक मंडल द्वारा गठित ऋण कमेटी निम्न सभी पर निर्णय ले सकेगी:- <ul style="list-style-type: none"> • शाखाओं से प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों की स्वीकृति प्रदान करना। • शाखाओं से प्राप्त MRF/MLIF के आवेदन पत्रों की स्वीकृति प्रदान करना। • मृतक सदस्यों के ऋण खातों (कम्प्यूटर में) में मृत्यु की तिथि टैग करने की स्वीकृति प्रदान करना जिससे यदि आवश्यक हो तो तीसरी जमानत लगाई जा सकें। • जमा सीटीडी के विरुद्ध जमानत से मुक्त करने की स्वीकृति प्रदान करना। • मृतक सदस्य के बकाया ऋण को जमा सीटीडी के विरुद्ध जमानत से मुक्त करने की स्वीकृति प्रदान करना। • सदस्य की भुगतान क्षमता की जांच करने पर यदि आवश्यक हो तो रिवाईज्ड ऋण की स्वीकृति प्रदान करना। • सदस्य की 5 वर्ष की अवधि से पूर्व सदस्यता से त्यागपत्र की स्वीकृति प्रदान करना। यदि ऋण कमेटी की सभा में विलम्ब हो तो विशेष परिस्थितियों में उपरोक्त सभी अधिकार अध्यक्ष/उपाध्यक्ष बैंक को होंगे तथा इसे पश्च स्वीकृति हेतु ऋण कमेटी की सभा में प्रस्तुत किया जायेगा।
16.4	शाखाओं द्वारा ऋण नीति के विरुद्ध स्वीकृति हेतु मुख्यालय भेजे गये ऋण आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर शाखा को वापस लौटाने का अधिकार ऋण कमेटी को होगा।
16.5	ऋण आवेदन पत्रों के साथ सदस्यों द्वारा इनवर्ड करते समय Latest वेतनपर्ची ही संलग्न की जाये, इस संबंध में सभी शाखाओं को पूर्व में विस्तृत निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

*****\$\$\$\$*****